इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 626] भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर 2017—अग्रहायण 1, शक 1939

### तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. एफ 1-35-2014-बयालीस-(1).—मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 13 में, उपनियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(11) (क) गंभीर बीमारी/अथवा ऐसी कोई बीमारी जैसे-कैंसर, किडनी फेल होना आदि अथवा दिव्यांगता की अथवा विवाहित/तलाकशुदा/विधवा महिला की दशा में, स्वशासी के अधीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नियुक्त किए गए व्याख्याताओं के एक संस्था से दूसरी में प्रतिनियुक्ति/संविलियन हेतु निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् :—

(एक) तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के अधीन किसी व्याख्याता की प्रतिनियुक्ति/संविलियन के मामले में सरकार केवल तभी विचार कर सकेगी जब आवेदक दोनों संस्थाओं अर्थात् जहां पर सेवारत है और जहां वह सेवा प्रदान करना चाहता है, से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करें.

(दो) ऐसी दशाओं में, जहां आवेदक को एक सोसाइटी से दूसरी में स्थानांतरित किया गया है, वहां सरकार उस मामले का विचार कर सकेगी यदि आवेदक संविलियन किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं अर्थात् जहां वह सेवारत है और जहां वह सेवा प्रदान करना चाहता है से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा.

(तीन) उपरोक्त उपखण्ड (एक) व उपखण्ड (दो) के अधीन उपबंधित मामलों पर तभी विचार किया जाएगा जब उसी रिक्त पद/वर्ग का पद उपलब्ध हो जो आवेदक धारण करता है.

(चार) यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन नियमों के अधीन उसे समनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है, तब सरकार उसकी सेवाएं किसी दूसरे संस्था को स्थानांतरण कर सकेगी.

(पांच) रिक्त पद की उपलब्धता की दशा में, सरकार शासकीय संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों/प्राचार्यों को, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, एक सोसाइटी से दूसरी में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी, और जहां प्रतिनियुक्ति की ऐसी अवधि समाप्त हो चुकी हो किन्तु संस्था से उसको मुक्त नहीं किया गया हो, तो प्रतिनियुक्ति की अवधि उस संस्था में जहां वह नियुक्त है, अपनी सेवाएं प्रदान करने तक बढ़ाई गई समझी जाएगी.

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में एस. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2012 के उप-विनियम (5) के अधीन प्राचार्यों के रिक्त पदों पर भरती हेतु, गैर अभियांत्रिकी विषयों के उम्मीदवारों को सम्मिलित किया जा सकेगा.

No. F 1-35-2014-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 13, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(11) (a) in case of serious illness or any disease such as Cancer, Kidney failure etc. or disability or in cases of married/divorce/widow woman, the following provisions shall apply for deputation/merger of the lecturers, from one institute to another, appointed in the Polytechnic Colleges under autonomy, namely :—

(i) The Government may consider the matter of deputation/merger of any lecturer under the rules enforceable at that time only if the applicant submits the application along with the 'No Objection Certificates' obtained from both the institutes i.e. where the applicant is working and where he/she wishes to render the services.

(ii) In such cases where the applicant has been transferred from one society to another, the Government may consider the matter if the applicant submits an application for merger along with the 'No Objection Certificates' obtained from both the institutes i.e. where he/she is working and the institute where he/she wishes to render the services.

(iii) The cases as provided under sub-clauses (i) and (ii) above, shall be considered only when the same vacant post/class of the post is available, which the applicant holds.

(iv) If any officer or employee fails to perform his duties assigned to him under these rules, then the Government may transfer his services to any other institute.

(v) In case of availability of the vacant post, the Government may appoint on deputation the teachers/principals working on deputation, in the Government Cadre from one society to another for a period as may be specified in order, and in case where such period of deputation expires but he/she is not relieved from the institute, the period of deputation shall be deemed to have been extended till he renders his services in the institute where he/she was appointed.

(b) In addition to the above, candidates having non-engineering subjects may be included in recruitment on the vacant posts of principals in the Polytechnic Colleges under sub-regulation (5) of AICTE Regulation, 2012.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सभाजीत यादव,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2017

क्र. एफ 1-35-2014-बयालीस-(1).—मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(11) (क) गंभीर बीमारी/अथवा ऐसी कोई बीमारी जैसे—कैंसर, किडनी फेल होना आदि अथवा दिव्यांगता की अथवा विवाहित/तलाकशुदा/विधवा महिला की दशा में, स्वशासी के अधीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में नियुक्त किए गए व्याख्याताओं के एक संस्था से दूसरी में प्रतिनियुक्ति/संविलियन हेतु निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् :—

(एक) तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के अधीन किसी व्याख्याता की प्रतिनियुक्ति/संविलियन के मामले में सरकार केवल तभी विचार कर सकेगी जब आवेदक दोनों संस्थाओं अर्थात् जहां पर सेवारत है और जहां वह सेवा प्रदान करना चाहता है, से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करें.

(दो) ऐसी दशाओं में, जहां आवेदक को एक सोसाइटी से दूसरी में स्थानांतरित किया गया है, वहां सरकार उस मामले का विचार कर सकेगी यदि आवेदक संविलियन किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं अर्थात् जहां वह सेवारत है और जहां वह सेवा प्रदान करना चाहता है से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा.

(तीन) उपरोक्त उप-खण्ड (एक) व उप-खण्ड (दो) के अधीन उपबंधित मामलों पर तभी विचार किया जाएगा जब उसी रिक्त पद/वर्ग का पद उपलब्ध हो जो आवेदक धारण करता है.

(चार) यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन नियमों के अधीन उसे समनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है, तब सरकार उसकी सेवाएं किसी दूसरे संस्था को स्थानांतरण कर सकेगी.

(पांच) रिक्त पद की उपलब्धता की दशा में, सरकार शासकीय संवर्ग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों/प्राचार्यों को, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, एक सोसाइटी से दूसरी में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी, और जहां प्रतिनियुक्ति की ऐसी अवधि समाप्त हो चुकी हो किन्तु संस्था से उसको मुक्त नहीं किया गया हो, तो प्रतिनियुक्ति की अवधि उस संस्था में जहां वह नियुक्त है, अपनी सेवाएं प्रदान करने तक बढ़ाई गई समझी जाएगी.

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में एस. आई. सी. टी. ई. विनियम, 2012 के उप-विनियम (5) के अधीन प्राचार्यों के रिक्त पदों पर भरती हेतु, गैर अभियांत्रिकी विषयों के उम्मीदवारों को सम्मिलित किया जा सकेगा.

No. F 1-35-2014-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Technical Education Engineering College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 12, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(11) (a) In case of serious illness or any disease such as Cancer, Kidney failure etc. or disability or in cases of married/divorce/widow woman, the following provisions shall apply for deputation/merger of the lecturers, from one institute to another, appointed in the Engineering Colleges under autonomy, namely :—

(i) The Government may consider the matter of deputation/merger of any lecturer under the rules enforceable at that time only if the applicant submits the application along with the 'No Objection Certificates' obtained from both the institutes i.e. where the applicant is working and where he/she wishes to render the services.

(ii) In such cases where the applicant has been transferred from one society to another, the Government may consider the matter if the applicant submits an application for merger along with the 'No Objection Certificates' obtained from both the institutes i.e. where he/she is working and the institute where he/she wishes to render the services.

(iii) The cases as provided under sub-clauses (i) and (ii) above, shall be considered only when the same vacant post/class of the post is available, which the applicant holds.

(iv) If any officer or employee fails to perform his duties assigned to him under these rules, then the Government may transfer his services to any other institute.

(v) In case of availability of the vacant post, the Government may appoint on deputation the teachers/principals working on deputation, in the Government Cadre from one society to another for a period as may be specified in order, and in case where such period of deputation expires but he/she is not relieved from the institute, the period of deputation shall be deemed to have been extended till he renders his services in the institute where he/she was appointed.

(b) In addition to the above, candidates having non-engineering subjects may be included for recruitment on vacant posts of principals in the Engineering Colleges under sub-regulation (5) of AICTE Regulation, 2012.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सभाजीत यादव,** उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.